UPGK010055242026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2441/2026

राहुल यादव पुत्र राम संत यादव, निवासी- बेलवा, थाना- झंगहा, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 489/2026
अंतर्गत धारा- 318(4), 352,
351(3), 338, 336(3), 340(2) B.N.S.
थाना- झंगहा, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 25.06.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 489/2026, अंतर्गत धारा- 318(4), 352, 351(3), 338, 336(3), 340(2) B.N.S., थाना- झंगहा, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका अन्य कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी के पति के मौसी के लड़के पीने खाने वाले है। उसकी मौसी ने अपना खेत बेचा था जिसमें कई लाख रुपया प्राप्त हुआ जो रुपया वास्ते सुरक्षार्थ एवं खरीदने जमीन वादिनी के खाते में भेज दिया। वह कई लाख रुपया नात बात रिश्तेदार से मांग कर वादिनी के खाते में भिजवा कर उस रुपए से जमीन खरीदने हेतु तमान करने को कहा तो वादिनी व उसका पति उचित जमीन की तलाश में थे कि उन लोगों की मुलाकात झंगहा थाने के मोतीराम अड्डा में बेहद फरेबी जाती व फर्जी व्यक्ति राहुल यादव से हुई। वह बातों बातों में बताया कि उसकी एक काफी मूल्यवान जमीन ग्राम बेलवा में ही है बात आपकी मौसी की है तो वह अपना जमीन उचित दाम में दे देगा। वह वादिनी को अपने परिजनों के नाम का एक इंतखाब दिखाकर एक जमीन दिखाया जो सड़क के किनारे कर्नर का खूबसूरत प्लांट था जिसे देखते ही वादिनी का मन मोह गया। वादिनी जमीन खरीदने में तेजी दिखाते हुए दाम बताने को कही तो उक्त राहुल यादव ने कहा कि दाम तो ज्यादा है लेकिन आपको मात्र 65 लाख में दे देगा। वह वादिनी को भरोसे में लेकर उसका हस्ताक्षर सुदा चेक लेकर कहा कि आप घबराइए नहीं उसका दोस्त आशुतोष सिंह एक्सिस बैंक शाखा तारामंडल का कर्मचारी है उसे बात करते हुए सही से भुगतान हो जाने के लिए आश्वस्त कर उसके व बैंक के अन्य जिम्मेदारों के सहयोग से वादिनी के खाता खाता नंबर में अटैच उसका मोबाइल नंबर डिलीट करते हुए लेनदेन के

आने बाले मैसेज से वेखबर करने व आसानी से निकालने की गरज से स्वयं यूज करने वाला अपना मोबाइल नम्बर ऐड करा कर मनमाना ढंग से भुगतान करते कराते हुए अपने मेली मददगार जालसाजी के टीम के गुर्गे अपने चाहते क्रमशः अश्वनी कुमार, अजय कुमार, शशांक कुमार के खाता में वह कुछ स्वयं नगद का घोर अनियमित तौर तरीका से भुगतान कर करा कर कहा कि बैनामा का खर्च लगभग 10 लाख हो रहा है जो उसे नगद दे दीजिए। वह सारा कुछ लिखवाया पढवाया रहेगा। कल जाकर जमीन का बैनामा आसानी से करा लीजिएगा। उससे 10 लाख नगद लेकर वादा के अनुसार अगले दिन बैनामा करना तो दूर अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया तो उनके कार्य व्यवहार पर वादिनी को शंका हुआ तो जांच पड़ताल के क्रम में, ज्ञात हुआ कि अन्य के सहयोग से उक्त राहुल ने जो वादिनी को जो जमीन का इंतखाप दिया था यह भी जाली व फर्जी है। वह अपना नाम खातेदारों के कलम में कूटरचित व झूठा जोडंकर प्रस्तुत किया है तथा रुपए का भी बंदर बट कर लिया है तो वादिनी अपने पति के साथ उनसे मिलकर जमीन का बैनामा अब न करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपना रुपया वापस मांगी तो वह सब उन लोगों को भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहने लगा की साली गलत ढंग से रुपया वापस करने या जमीन बैनामा करने के लिए थोडे लिया है। अब रुपया व जमीन भूल जाओ नहीं तो तुम लोगों को जान से मार या मरवा दूंगा।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी ने कोई जुर्म नहीं किया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जैसा कि अभियोजन द्वारा बताया जाता है। वादिनी मुकदमा ने अपने प्रथम सूचना की तहरीर में अंकित किया है कि प्रार्थिनी के पति के मौसी के लड़के खाने पीने वाले है मौसी ने अपना खेत बेचा था जिसमें कई लाख रुपये प्राप्त हुआ जो रुपया वास्ते सुरक्षार्थ एवम् खरीदने जमीन हम प्रार्थिनी के खाते में भेज दिया व कई लाख रुपया नात रिश्तेदारों से मगाकर मेरे खाते में भिजवा दिया। वादिनी मुकदमा ने स्पष्ट तौर पर यह बात नहीं अंकित किया है कि कितना कितना पैसा किन-किन व्यक्तियों से किस किस दिन किन किन खातों से अपने खाते में मंगाया है। जिससे स्वंय वादिनी मुकदमा का कथन अस्पष्ट व भ्रामक प्रतीत होता है। वादिनी मुकदमा द्वारा स्वम् अपना मोबाईल नं० यू.पी. अपडेट किया गया है। वादिनी मुकदमा ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा 65 लाख रुपया का चेक लेकर खाता नम्बर से अटैच मोबाईल नम्बर डिलीट कर पैसा निकाल लेने की बात कही है। जबकि वास्तविकता यह है कि बिना खाताधारक के अनुमति के व OTP (ONE TIMES PASSWORD) के बताए बिना कोई अन्य दुसरा नम्बर बैंक एकाउन्ट से लिंक नहीं किया जा सकता तथा वादिनी मुकदमा द्वारा न तो चेक नं० और नही अपने एकाउन्ट नम्बर बैंक का उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के खाते में ऐसी कोई रकम किसी खाते से नीं आया है जैसा कि वादिनी मुकदमा द्वारा बताया जाता है। वादिनी मुकदमा संध्या व उनके पति राजू निषाद स्वंय अपराधिक व जाल साज प्रवृति के है उनके विरूद्ध स्थानीय थाना झगंहा में कई मुकदमें पंजीकृत है। वादिनी मुकदमा द्वारा दिए गय बयान या सम्पूर्ण विवेचना में कोई भी ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिस आधार पर द्वारा कोई यह साबित होता होता है कि प्रार्थी दस्तावेज / इस्तगासा ऐसा दिया गया हो जो कूटरचित हो। वादी मुकदमा ने महज पेशबन्दी व प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह मुकदमा भ्रामक तथ्यों के आधार पर कायम कराया है। इसके अलावा प्रार्थी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा नहीं है।

प्रार्थी विवेचना में सहयोग करने को सर्वदा तत्पर रहा है। प्रार्थी स्थानीय है तथा प्रार्थी को जमानत आदेश मिलने पर उसके दुरुपयोग की कोई सम्भावना नहीं है। दौरान विवेचना प्रार्थी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रि०मि०रिट मिटिशन संख्या- 27410/2025 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2025 से विवेचना पूर्ण होने तक के लिए प्रार्थी के विरूद्ध उत्पीड़न कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को फर्जी एवं कूटरचित इंतखाब के आधार पर किसी अन्य की भूमि दिखाकर उससे लाखों रूपये प्राप्त किये गये है। अतः अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से वादिनी मुकदमा को फर्जी एवं कूटरचित इंतखाब के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति की भूमि दिखाकर लाखों रूपये प्राप्त करने का अभियोग लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। केस डायरी में अंकित वादिनी मुकदमा के बयान के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी को एक फर्जी कूटरचित इंतखाब दिया जाना कहा गया है, जिसमें अभियुक्त द्वारा खातेदार के कालम में कूटरचना करके अपना नाम जोड़ा जाना बताया गया है। वादिनी मुकदमा के खाते से आवेदक/अभियुक्त के खाते में धनराशि अंतरित किया जाना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि उसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित कराने के आशय से प्रस्तुत मामले में झूठा संलिप्त किया गया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राहुल यादव द्वारा मु०अ०सं०- 489/2026, अंतर्गत धारा- 318(4), 352, 351(3), 338, 336(3), 340(2) B.N.S., थाना- झंगहा, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-25.06.2026</u>

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.25 16:40:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court